वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,

कुल सचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू0वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2015/140
दिनांक : 25-05-2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रद्धेय बाबूराम बालिका कालेज,
खानपुर, सैदपुर, गाजीपुर

विषय–प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 13.11.2014 के सन्दर्भ में सूचित करने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2013/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12.05.2015 एवं चार सदस्यों की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने श्रद्धेय बाबूराम कालेज खानपुर, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रा0इतिहास, गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. उप जिलाधिकारी सैदपुर, गाजीपुर के पत्र संख्या–मेमो/XV–एस0टी0/2015 दिनांक 28 फरवरी 2015 ग्राम–खानपुर,, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर के गाटा संख्या 70,71,72 से रकबा 5404 हे0 यानि 5404 वर्गमीटर का एक ही भूखण्ड है यह भूमि अकृषिक एवं महाविद्यालय के नाम विधित आन्तरित है। भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्यथा की दशा में अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2000–2(166)/2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूरा कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई इन्कार नही होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से मॉग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वो की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वयं जिम्मेदार होगें।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेगें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव